

Speed/008L

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 21(1)त.शि./2015

जयपुर, दिनांक, 18 जून, 2018

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर।

विषय :- दशम शासी परिषद का कार्यवृत्त स्वीकृत करने हेतु।
संदर्भ :- आपका पत्रांक :जीईसीए/2018/61 दिनांक 22.5.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.6.2018 के अतिक्रमण में तत्कालीन अध्यक्ष शासी परिषद अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी अजमेर/मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं तत्कालीन प्राचार्य, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त उच्च अध्ययन की अनुमति नियमानुसार दिये जाने के फलस्वरूप पुनः वसूली किये जाने के आदेश को महाविद्यालय की दशम शासी परिषद की बैठक दिनांक 10.5.2018 के कार्यवृत्त प्रस्ताव 10.01 एवं नवीं शासी परिषद के कार्यवृत्त मिनिट्स की पुष्टि व कियान्विति एजेंडा आईटम संख्या 9.29 चैयरमैन बीओजी द्वारा Note of Dissent for action taken report 10.01 (Agenda item of 9th BOG 9.29 Action order no.GWECA/estt./2017-18/190 dated 24-4-2018/30-4-2018 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं साथ ही नवीं बीओजी के एजेंडा आईटम संख्या 9.29 को दसवीं बीओजी के एजेंडा आईटम संख्या 10.01 में से पूर्णतः हटाया जाता है।

शेष एजेंडा बिंदुओं का अनुमोदन किया जाता है। साथ ही बिंदु संख्या 10.5, 10.19 का संबंध वित्त से होने के कारण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर कार्यवाही करें।

यह अध्यक्ष शासी परिषद/मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा से अनुमोदित है।

अलग-अलग BOG Minutes.

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 3 प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाडा।
- 4 प्राचार्य महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।
- 5 श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर वर्तमान पदस्थापन अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाडा।
- 6 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

G.E.C., AJMER
Office of Principal
Out.No. 1058
Date 25 JUN 2018
Sig

Pl. put the minutes on website
23/6/18

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : 21(1)त.शि./2015

जयपुर, दिनांक, 18 जून, 2018

प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर ।

विषय :- दशम शासी परिषद का कार्यवृत्त स्वीकृत करने हेतु।
संदर्भ :- आपका पत्रांक :जीईसीए/2018/61 दिनांक 22.5.2018


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार महाविद्यालय की दशम शासी परिषद की बैठक दिनांक 10.5.2018 के कार्यवृत्त प्रस्ताव 10.01 नवीं शासी परिषद के कार्यवृत्त मिनिट्स की पुष्टि व क्रियान्विति एजेंडा आईटम संख्या 9.29 चैयरमैन बीओजी द्वारा Note of Dissent for action taken report 10.01 (Agenda item of 9th BOG 9.29 Action order no.GWECA/ estt./2017-18/190 dated 24-4-2018/30-4-2018 के आदेश को निरस्त किया जाता है।

शेष एजेंडा बिंदुओं का अनुमोदन किया जाता है। साथ ही बिंदु संख्या 10.5, 10.19 का संबंध वित्त से होने के कारण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर कार्यवाही करें।


यह अध्यक्ष शासी परिषद/मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा से अनुमोदित है।

भवदीय


संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 3 प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाडा।
- 4 प्राचार्य महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।
- 5 श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव, अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर वर्तमान पदस्थापन अभियांत्रिकी महाविद्यालय बांसवाडा।
- 6 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त सचिव, त.शि.



राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा. रा. न. 8 बड़लिया चौराहा, नारेली तीर्थ के समीप,

अजमेर (राज.) 305025

Website: www.ecajmer.ac.in
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

Telephone : 9214210952
Lat-Long: 26.448, 74.702

No. GECA/2018/61

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग
प्राप्ति संख्या... 4755
दिनांक... M... 28/5/18

दिनांक: 22 मई 2018

विषय: दशम शासी परिषद् का कार्यवृत्त स्वीकृत करने हेतु.

निवेदन है कि दिनांक 10 मई 2018 को सचिवालय, जयपुर में माननीया अध्यक्ष महोदया, माननीय BoG Chairman तथा माननीय सदस्यगणों की उपस्थिति में दशम शासी परिषद् की बैठक संपन्न हुई. उक्त बैठक का संलग्न कार्यवृत्त आपके अनुमोदन के संग स्वीकृति हेतु माननीया अध्यक्ष महोदया के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें.

भवदीय,

रंजन माहेश्वरी

प्राचार्य व सदस्य सचिव

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर

श्री रवि जूनीवाल
माननीय BoG Chairman
अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर

V. J.
26/5/18

श्रीमती किरण माहेश्वरी
माननीया अध्यक्ष, अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर
एवं माननीया मंत्री, उच्च व तकनीकी शिक्षा, राजस्थान

Kiran Maheshwari
14/6.

अभियांत्रिकी महाविद्यालय, समिति, अजमेर 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर के शासी परिषद् की 10वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 को शासन सचिवालय, जयपुर के सभागार में प्रातः 10.00 बजे माननीया श्रीमती किरण माहेश्वरी, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, शासी परिषद् अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर की अध्यक्षता में आहूत हुई। उक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे :-

1. डॉ. सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, सदस्य
2. डॉ. रवि जुनीवाल, डायरेक्टर, ऐपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जयपुर, चैयरमेन
3. प्रो. आर. पी. दहिया, पूर्व निदेशक, एम.एन.आई.टी. जयपुर, सदस्य
4. श्री केदारनाथ अग्रवाल, डायरेक्टर, जे.पी. इन्डस्ट्रीज, जयपुर, सदस्य
5. प्रो. सुधीर कुमार, प्रोफेसर सिविल अभियांत्रिकी, एम.एन.आई.टी., जयपुर, सदस्य
6. प्रो. अनिल कुमार माथुर, प्रोफेसर, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, सदस्य
7. डॉ. देवेन्द्र चौधरी, सह-आचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर, सदस्य
8. डॉ. प्रशान्त कृपलानी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर, सदस्य
9. श्री दौलत सिंह दायमा, लेखाधिकारी एवं उप कुलसचिव, नामित सदस्य (एफ.ओ. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा) के स्थान पर माननीया अध्यक्ष, शासी परिषद् की अनुमति से
10. डॉ. शिवलाल, प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा, आमंत्रित सदस्य
11. रंजन माहेश्वरी, प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर एवं सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा माननीया अध्यक्षा महोदया की अनुमति से नवीन सदस्य डा. सुबोध अग्रवाल साहब तथा प्रो. आर पी दहिया साहब का स्वागत किया गया तथा राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रो. अजय सिंह जेठू की सेवाओं हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया. तत्पश्चात शासी परिषद् की बिन्दुवार कार्यवाही आरम्भ की गई.

प्रस्ताव सं. 10.01 : 9वीं शासी परिषद् के कार्यवृत्त (मिनट्स) की पुष्टि व क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुता।

निर्णय : - अनुमोदित। प्रस्ताव पूर्व शासी परिषद् के प्रस्ताव सं. 9.13, 9.24, 9.43, 9.44 हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से समिति का पुर्नगठन किया जाना है।

NOTE OF DISSENT for action taken report 10.1 (agenda item of 9th BOC 9.29 action) Order No. GWECA/Estt/2017-18/190 dated 24.04.2018

प्रस्ताव सं. 10.02 : वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंकक्षित लेखों का प्रतिवेदन प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुता।

निर्णय : - राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखे अनुमोदित। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर तथा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाड़ा को दिनांक 30.06.2018 तक समस्त अंकक्षित लेखे, सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जाना है।

प्रस्ताव सं. 10.03 : वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुता।

निर्णय : - अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 10.04 : तकनीकी शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 20(5)(1) त.शि/2004 जयपुर दिनांक 21.02.2018 के आदेशानुसार प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुता।

1. एनपीआईयू द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोफेसरो का प्रोजेक्ट अवधि में समायोजन किये जाने हेतु

निर्णय : - आवश्यकतानुसार विज्ञापन जारी कर खुली भर्ती प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

2. महाविद्यालय में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी आवश्यकता है एवं कितने कार्यरत हैं, यदि आवश्यकता से अधिक कार्यरत है तो प्रकरणों का प्रस्ताव

निर्णय : - सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। मात्र राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में एक असिस्टेंट प्रोफेसर वर्तमान में वर्तमान सेमेस्टर में अधिक पाया गया, जो अगले सेमेस्टर के विषय में छात्राओं के नामांकन होने पर अतिरिक्त न रहने की संभावना है।

3. एसोसियेट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्ति किये जाने हेतु

निर्णय : - सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इस दिशा में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से निर्णय लिया जायेगा।

4. अशैक्षणिक कर्मचारियों की आवश्यकता है एवं कितने कार्यरत हैं, भरे जाने वाले अशैक्षणिक कार्मिक एवं गेस्ट फैकल्टी पर रखे सहायक आचार्य सहायक प्रोफेसरों के प्रकरण.

निर्णय : - सदस्यों को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। अशैक्षणिक कर्मचारियों के भरे जाने वाले पदों का प्रस्ताव महाविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु विधिक परामर्शानुसार निर्णय महाविद्यालय स्तर पर लिया जायेगा।

5. फीस रिवाइज प्रस्ताव

निर्णय : - अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर के अधीन संचालित समस्त महाविद्यालय में वर्तमान एवं आगंतुक विद्यार्थियों से तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त क्रमांक 18(5)त.शि./2004-1 जयपुर दिनांक 12/13 मार्च, 2018 के अनुसार शुल्क लिया जायेगा।

6. जिन ब्रांचों में प्रवेश नहीं हो पा रहे है, या कम हो रहे हैं। उनको बन्द किया जाकर उनके स्थान पर नई ब्रांच खोले जाने के प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा प्रस्तावित वर्ष 2018-19 के लिए इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा में छात्रा संख्या 120 के स्थान पर 60 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स शाखा में छात्रा संख्या 120 के स्थान पर 60 किया जाना अनुमोदित।

7. राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर में भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र व गणित का अधिस्नातक कोर्स तथा बी.सी.ए. अकादमिक वर्ष 2018-19 से संचालित करने की अनुमति बाबत।

निर्णय : - महाविद्यालय में बी.सी.ए. कोर्स संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं. 10.05 : तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 01.05.2018 के अनुसार प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

- 1. अशैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति का प्रतिवर्ष आकलन कर स्थिति की समीक्षा तथा कार्य योजना विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : - अशैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने के लिये अनुमोदन किया गया तथा शैक्षणिक कर्मिकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।
- 2. शैक्षणिक कर्मचारियों को सीएस का लाभ दिये जाने हेतु AICTE के नियमानुसार वित्तीय स्थिति का प्रतिवर्ष आकलन कर स्थिति की समीक्षा तथा कार्ययोजना विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : - दिनांक 15.06.2018 तक प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इस हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, तकनीकी शिक्षा द्वारा शीघ्र ही प्राचार्य की बैठक आहूत की जा रही है। (MLVTI, भीलवाड़ा की BoG में प्राप्त जानकारी अनुसार)
- 3. राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में कार्यरत ठेकाकर्मियों को पूर्व में दिए जा रहे वेतन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाया जाकर भुगतान किये जाने की स्थिति की समीक्षा तथा कार्ययोजना विचारार्थ प्रस्तुत।
निर्णय : - विचार नहीं किया गया।

प्रस्ताव सं. 10.06 : अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति अजमेर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय का सामूहिक कोष रखने व सामूहिक खाते बनाये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - चूँकि तीनों महाविद्यालयों का पृथक्कीकरण किया जा रहा है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

K. J. J.
26/5/18

प्रस्ताव सं. 10.07 :

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति अजमेर के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालय का सामूहिक पेन नम्बर अन्तर्गत फार्म नं. 16 व 16ए व अन्य कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - चूँकि तीनों महाविद्यालयों का पृथक्कीकरण किया जा रहा है, अतः प्रस्ताव अस्वीकृत।

प्रस्ताव सं. 10.08 :

नवम् शासी परिषद् के प्रस्ताव सं. 9.42 में प्राचार्य को प्राधिकृत करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - निम्न समिति का गठन किया गया।

1. अध्यक्ष - प्राचार्य
2. सदस्य - राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्रतिनिधि
3. सदस्य - उप कुलसचिव (वित्त) और समकक्ष
4. सदस्य - तकनीकी शिक्षा, (प्रशासनिक विभाग) द्वारा नामित

प्रस्ताव सं. 10.09 : विभागों का एकीकरण करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - निम्नानुसार अनुमोदित

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर		
क्र.सं.	पृथक विभागों का नाम	नवीन (एकीकृत) विभाग का नाम
1.	गणित, भौतिकी, रसायन, मानविकी व अंग्रेजी विभाग	मानविकी एवं विज्ञान विभाग
2.	कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एमसीए विभाग	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर		
1.	गणित, भौतिकी, रसायन व अंग्रेजी तथा एमबीए विभाग	मानविकी एवं विज्ञान विभाग
2.	इलेक्ट्रिकल विभाग तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	इलेक्ट्रिकल विभाग
3.	कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी तथा एमसीए विभाग	कम्प्यूटर विज्ञान विभाग

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

TEQIP-III (Common for GECA & GWECA)

प्रस्ताव संख्या 10.10:

टेक्यूप-II के चार कोषों के व्यय हेतु कार्य योजना

निर्णय : - अनुमोदित

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 10.11 :

महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की वरीयता सूची का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के नियमों के अनुसार करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.12 :

आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत पद को उप कुलसचिव पद के पदनाम को परिवर्तित कर उप कुलसचिव (वित्त) किये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.13 :

महाविद्यालय में कार्यरत उप कुलसचिव (वित्त) को रु. 25000/- तक की राशि स्वीकृत/पारित एवं समायोजन करने हेतु तथा अतिरिक्त आहरण वितरण अधिकारी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.14 :

महाविद्यालय परिसर में बैंक, डिस्पेंसरी, डाकघर, कैंटीन व व्यवसाय केन्द्र का निर्माण करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्ति

4-5/2011


Page 6

प्रस्ताव सं. 10.15 : महाविद्यालय परिसर में नवनिर्मित मुख्य द्वार के समीप एटीएम कक्ष में भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम संचालन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित। न्यूनतम तीन बैंको से कोटेशन प्राप्त कर किराये एवं अन्य की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव सं. 10.16 : महाविद्यालय के विभिन्न कार्यालय हेतु आगन्तुक अतिथि सत्कार तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु मासिक राशि का व्यय करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 10.17 : महाविद्यालय के विभिन्न बाहरी कार्य हेतु स्थानीय यात्रा का पुर्नभुगतान हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 10.18 : महाविद्यालय में कार्यरत समस्त नियमित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को राज्य सरकार के आदेशानुसार मकान किराया भुगतान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित। वित्त विभाग को वस्तुस्थिति के अवगत करवाकर दिशा निर्देश प्राप्त कर किया जाना है।

प्रस्ताव सं. 10.19 : महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आने-जाने हेतु प्रारम्भ की गई अनुबन्धित बस सुविधा हेतु आवश्यक उपकरण एवं आधिक्य व बचत को महाविद्यालय कोष से भुगतान / जमा करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित। अधिकतम सीमा 2.00 लाख वार्षिक स्वीकृत की गई।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

4-1-26/18

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के विशिष्ट TEQIP-III प्रस्ताव रिपोर्टिंग

प्रस्ताव सं. 10.20.1 :

संस्थान परियोजना निदेशक, TEQIP-III एवं प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुमोदन

निर्णय : - राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के रिपोर्टिंग प्रस्ताव तथा राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के सूचना प्रतिवेदन अनुमोदित।

प्रस्ताव सं. 10.20.2 :

महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित शोध केन्द्रों के अन्तर्गत पंजीकृत पूर्णकालिक विद्या वाचस्पति शोधार्थियों (Full Time Ph.D. Scholars) जिनके पास अभियांत्रिकी स्नातक योग्यता परीक्षा (GATE) का वैध स्कोर नहीं है, साथ ही जिन्हें शोध अनुभव भी नहीं है, के लिये TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की राशि पर विचार कर अनुमोदन करना।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.20.3 :

टेक्यूप-III का सुशासन विकास योजना (good governance development plan) विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.20.4 :

महाविद्यालय में वर्तमान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के मापदण्ड अनुसार उचित कक्षा फर्नीचर व प्रयोगशाला फर्नीचर क्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

Handwritten signature and date: 26/5/18

प्रस्ताव सं. 10.21 : महाविद्यालय में कार्यरत नियमित संकाय सदस्यों को Twinning Activity के तहत उच्च अध्ययन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

प्रस्ताव सं. 10.22 : महाविद्यालय को प्राप्त वाद सं. एस.बी. सिविल रिट 23778/2017 एवं 87/18 में NPIU द्वारा नियुक्त अधिवक्ता के बिल का भुगतान करने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के विशिष्ट प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 10.23 :- वर्ष 2007-08 व वर्ष 2008-09 में नियुक्त संकाय सदस्यों के कैरियर उन्नति योजना अर्न्तगत बन्द लिफाफे खोलने हेतु।

निर्णय : - शासी परिषद् के एक सदस्य स्वयं लाभार्थी होने के कारण लिफाफों को उनकी अनुपस्थिति में खोला जाकर अनुमोदित किया गया। अनुलग्नक 1

प्रस्ताव सं. 10.24:- वर्ष 2011-12 व अन्य में नियुक्त संकाय सदस्यों के कैरियर उन्नति योजना के लाभ अनुमति हेतु।

निर्णय : - जिन संकाय सदस्यों का माननीय न्यायालय में वाद लम्बित नहीं है अथवा वाद लम्बित होने की स्थिति में Withdrawal करने पर ही कैरियर उन्नति योजना की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। दिनांक 15.06.2018 तक प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।

प्रस्ताव सं. 10.25 :- महाविद्यालय वाहन संख्या RJ-14 CP 4186 (कार) क्रय वर्ष मार्च, 2012 को नकारा घोषित करने बाबत।

निर्णय : - राज्य सरकार के नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

26/11/18

Page 9

राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के विशिष्ट TEQIP-III प्रस्ताव

प्रस्ताव सं. 10.26 :-

टेक्यूप-III का सुशासन विकास योजना (good governance development plan) विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : - अनुमोदित

राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाड़ा के विशिष्ट प्रस्ताव

Agenda Item No. 10.27:

To Consider and approve the adoption of Consultancy rules and remuneration of RTU Kota

निर्णय : - अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर के अधीन संचालित समस्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयों हेतु अनुमोदित।

Agenda Item No. 10.28:

To consider and approve the new sanction post of Non Teaching technical and non-technical staff

निर्णय : - अनुमोदित। प्रस्ताव को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार में प्रचलित पदों के आधार पर संशोधित कर प्रस्तुत किया जावे। संशोधित प्रस्ताव अनुलग्नक 2

Agenda Item No. 10.29:

To consider and approve the Recruitment of Teaching and Non-Teaching staff

निर्णय : - अनुमोदित।

Agenda Item No. 10.30:

To consider and approve the extra budget for construction of Boundary and 100 m CC Road to principal house

निर्णय : - अनुमोदित।

Agenda Item No. 10.31:

To consider and approve the onsite changes in master plan of GEC Banswara.

निर्णय : - अनुमोदित।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यसूच

Agenda Item No. 10.32:

To consider and approve to forgive the RPET loan amount of Rs. 215 lacs of GEC Banswara.

निर्णय :- प्रस्ताव पृथक पत्रावली पर प्रस्तुत कर वित्त विभाग के निर्देशार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाये।

Agenda Item No. 10.33:

To consider and approve the New Society and BoG for GEC Banswara

निर्णय :- अनुमोदित। राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर तथा राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाड़ा की पृथक-पृथक समिति (सोसायटी) के गठन की कार्यवाही की जानी है।

प्रस्ताव सं. 10.34 :- अतिरिक्त प्रस्ताव माननीया अध्यक्ष महोदया के अनुमोदन से।

Table Agenda

Agenda Item No. 10.T3.1:

To consider and approval the creation of teaching Post as per AICTE mandate.

The first academic session of the college started in the session 2012-13. The college has sufficient Infrastructure and Labs as per AICTE, New Delhi. The Faculty cadre ratio is not maintained because of posts are not created. The faculty cadre ratio is the deficiency given by the RTU Kota and to maintain the faculty cadre ratio new post as Professor, Associate Professor and Assistant Professor are required. As per AICTE, New Delhi norms the total faculty required in the college need to maintain the cadre ratio of Professor (P), Associated Professor (AP) and Assistant Professor (ATP) = 1 : 2 : 6. The faculty needs to be created as per AICTE norms for the smooth functioning of college is as given below in the table:

S.No.	Name of Department	Sanctioned Post			Post to be created		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Civil Engg.	-	01	03+09	01	01	-
2	Mechanical Engg.	-	02	06+06	01	01	-
3	Electrical Engg.	-	01	04+08	01	01	-
4	Computer Science	-	-	03+04	01	02	02
5	Physics	-	-	03	-	-	-
6	Chemistry	-	-	02	-	-	-
7	English	-	-	02	-	-	-
8	Mathematics	-	-	02	-	-	-
9	M.Tech. in Renewable Energy	-	01	04	-	-	-
Total		00	05	54	04	05	02

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

The pay scale and qualification for these teaching posts will be as per AICTE norms. The recruitment process needs to be carried out against these posts as per guideline of department of Technical Education, Govt. of Rajasthan, Jaipur.

निर्णय : - अनुमोदित


Agenda Item No. 10.T3.2: To approve the Roaster system for approved teaching post in GEC Banswara.

Teaching post (Faculty post) were approved in 9th BoG held at GWEC Ajmer & Shiksha Shankul Jaipur and the Reservation roaster is prepared as per the Govt. notification no. F.15(24)DOP/A-II/75 dated 20-11-2=1997 for the GEC Banswara and already submitted to the OSD Technical Education, Govt. of Rajasthan for necessary action (अनुलग्नक -3). And the order (no.22(4) tech. Edu. /09 dated 02-05-2018) received from the OSD technical education Regarding the submission of the vacancies with roaster in BoG for approval. It is submitted for approval

निर्णय : - अनुमोदित

माननीया अध्यक्ष महोदया के प्रति हार्दिक आभार सहित दशम शासी परिषद् की बैठक दिनांक 10 मई 2018 को संपन्न हुई.

R: J
26/5/18



रंजन माहेश्वरी
प्राचार्य व सदस्य-सचिव

10वीं शाषी परिषद की बैठक में दिनांक: 17-11-2017 व 18-11-2017 को स्क्रीनिंग कम इव्यूलेशन कमेटी की अनुशंषा, बन्द लिफाफे में, माननीय शाषी परिषद के समक्ष खोले गए जो कि विभागावार निम्नानुसार है-

क्र० सं०	संकाय सदस्य का नाम	विभाग	ग्रेड पे-7000 के लिए पात्रता तिथि
01	श्रीमती पायल अब्बाल	संगणक अभियांत्रिकी	08-11-2012
02	श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल	संगणक अभियांत्रिकी	06-09-2013
03	श्रीमती तरुणा खेमवानी	संगणक अभियांत्रिकी	18-01-2014
04	श्री मुकेश कुमार खण्डेलवाल	संगणक अभियांत्रिकी	13-08-2013
05	श्री पंकज कुमार शर्मा	संगणक अभियांत्रिकी	13-08-2013
06	श्री सत्यनारायण जोशी	विद्युत अभियांत्रिकी	08-11-2012
07	डॉ० जय गोपाल गुप्ता	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	08-11-2012
08	श्री गौरव भारद्वाज	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	22-07-2013
09	श्री चम्पालाल कुमावत	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	11-08-2014
10	श्री रविन्द्र सिंह चौहान	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	12-08-2013
11	श्रीमती विजय लक्ष्मी कल्याणी	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	12-08-2013
12	श्री हेमन्त कुमार विजयवर्गीय	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	13-08-2014
13	श्री कुन्दन राठौड़	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	20-08-2013
14	श्री आसिफ सैयद खान	इलेक्ट्रॉनिक्स व संचार अभियांत्रिकी	18-09-2013
15	श्री गौरव पाठक	सूचना प्रौद्योगिकी	23-10-2013
16	श्री गौरव गुप्ता	सूचना प्रौद्योगिकी	13-08-2014
17	श्री सुदर्शन मौर्य	सूचना प्रौद्योगिकी	13-08-2014
18	डॉ० श्याम सुन्दर शर्मा	भौतिकी शास्त्र	08-11-2012
19	डॉ० विजय शर्मा	भौतिकी शास्त्र	08-11-2012
20	डॉ० प्रिया अडवाणी	गणित	08-11-2012
21	श्रीमती शालिनी अग्रवाल	गणित	14-08-2014
22	श्री निखिल जैन	गणित	03-06-2015
23	डॉ० महेश बोहरा	गणित	08-11-2012
24	डॉ० सीमा माहेश्वरी	रसायन शास्त्र	08-11-2012
25	डॉ० प्रशान्त कुपलानी	रसायन शास्त्र	08-11-2012
26	श्रीमती मधु तोषनीवाल	रसायन शास्त्र	14-08-2014
27	डॉ० राखी खण्डेलवाल	रसायन शास्त्र	08-11-2012
28	डॉ० सरोज बाला	अंग्रेजी	08-11-2012
29	सुश्री प्रियंका गुप्ता	एम.बी.ए.	23-08-2013
30	श्रीमती नीतू राठौड़	एम.बी.ए.	26-08-2013
31	श्री राहुल कुमार गर्ग	इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी	*08-12-2015

* (Subject to rejoin the Institute and confirmation of deputation by BOG/State Govt.)

[Handwritten Signature]
26/11/18

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

Revised Table of Agenda Item. 10.28: To consider and approve the new sanction post of Non-Teaching technical and non-technical staff

The first academic session of the GOVT. ENGINEERING COLLEGE, BANSWARA started in the session 2012-13. The college has sufficient Infrastructure and Labs as per AICTE, New Delhi. The non-teaching staff needs to be created as per the norms for the smooth functioning of college is as given below in the table: (It is in the ratio of Faculty: staff::1:1.1, The sanctioned faculty posts are 70, so staff should be 77)

NON-TEACHING POST						
Sr. No.	Name of Post	Approved Post	New Post	Total	Comments	
Administrative Department						
1	Registrar (* Through Promotion)	0	1	1	1 Post Filled	
2	Deputy Registrar	1	0	1		
3	Assistant Registrar (Admin.)	0	1	1		
4	PA to Principal	1	0	1		
5	Security Officer (Admin.)	0	1	1		
6	LDC	4	0	4		
7	Date Entry Operator (Typist)	0	2	2		
Finance Department						
9	Accountant	1	0	1		
10	Junior Accountant	2	0	2		
11	Cashier	1	0	1		
Estate Department						
12	Estate Officer	1	0	1		
13	J. En. (Civil)	0	1	1		
14	Electrician	2	1	2		
15	Store Keeper	1	0	1		
Electrical Department						
16	Technical Assistant	0	1	1		
17	Lab Technician	3	2	5		
18	Lab Attendant	0	2	2		
Mechanical Department						
19	Technical Assistant	0	1	1		
20	Lab Technician	6	0	6		
21	Lab Attendant	0	2	2		
Civil Department						
22	Technical Assistant	0	1	1		
23	Lab Technician	2	3	5		
24	Lab Attendant	0	2	2		
Computer Department						
25	Programmer / System Administrator	1	0	1		
26	Programmer Assistant	0	1	1		
27	Lab Technician	2	0	2		
28	Lab Attendant	0	1	1		

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त

Computer Service Center				
29	Assistant Network Manager	0	1	1
30	Web Designer/ Web Developer	0	1	1
31	Lab Attendant	0	1	1
Physics Department				
32	Technical Assistant	0	1	1
33	Lab Assistant	1	0	1
34	Lab Attendant (Physics)	0	1	1
Chemistry Department				
35	Technician Assistant	0	1	1
36	Lab Assistant	1	0	1
37	Lab Attendant	0	1	1
Library Department				
38	Librarian	0	1	1
39	Assistant Librarian	1	0	1
40	Library Assistant	0	1	1
41	Cataloger Cum Classifier	1	0	1
42	Book Lifter	0	1	1
43	Library Attendant	2	0	2
Communication Lab				
44	Lab Technician	0	1	1
45	Lab Attendant	0	1	1
Hostel				
46	Matron	0	2	2
47	Mess Assistant	0	1	1
48	Office Clerk for Hostel	0	1	1
Sports Department				
49	Assistant Sports Officer / PTI	1	0	1
50	Sports Attendant	0	1	1
Total		35	39	74

* means posts are on promotion or extra duty given to the Faculty.

P. J. I
- 26/5/10

Government Engineering College Banswara

(Behind Mayur Dungarpur Road Lodha, Banswara-327001)

Vacancies with Reservation Roaster system as per the Govt. of Rajasthan notification no. F.15(24)DOP/A-II/75 Dated 20-11-1997

S. No.	Civil Engineering			Electrical Engineering			Mechanical Engineering			Computer Science			Applied Science (P+C+M+E)*			
	Prof.	Asso. Prof.	12	Prof.	Asso. Prof.	12	Prof.	Asso. Prof.	12	Prof.	Asso. Prof.	Nil	Asst. Prof.	07	Asst. Prof.	09
No. of Post	NIL	01	(UR)	NIL	01	12	NIL	02	(UR)	02	UR	UR	UR	UR	P-UR	C-UR
1.	NIL	(UR)	UR	UR	UR	UR	NIL	(UR)	UR	UR	UR	UR	UR	UR	M-UR	E-UR
2.															P-OBC-1	
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																

* (P-Physics, C-Chemistry, M-Maths, E-English)

In this roaster Physics, Chemistry, Maths and English Treated as single Department.

DR. SHIVAL
PRINCIPAL
Govt. Engineering College
Banswara (Raj.)

अनुलग्नक-3

अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति, अजमेर, 10वीं शासी परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त



18
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा
GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE, BANSWARA
Behind Mayur Mill, Lodha Dungarpur Road, Banswara (Raj.) - 327001

Principal
Govt. Engg. College
Banswara

Ref. No. GECBW/2018-19/75-76

Date 19/05/2018

संयुक्त सचिव
तकनीकी शिक्षा विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :- श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव, रा.अ.म.बांसवाड़ा की रिकवरी के संदर्भ में।


संदर्भ :- पत्र क्रमांक GWECA/Estt./2017-18/190 dated 24.04.2018, एवं श्री शिवपाल यादव द्वारा प्राप्त पत्र के संदर्भ में।

श्रीमान,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि रा.म.अ.म. अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक GWECA/Estt./2017-18/190 dated 24.04.2018 द्वारा श्री शिवपाल यादव द्वारा उच्च शिक्षा के लिए ली गई छुट्टियों की रिकवरी किए जाने के संदर्भ में है। श्रीमान, पूर्व प्राचार्य (रा.म.अ.म.अजमेर) द्वारा राज्य सरकार से अनुमति लेकर श्री शिवपाल यादव को उच्च शिक्षा के लिए मय वेतन भेजा गया था। राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। इस निर्णय के खिलाफ जाकर वर्तमान प्राचार्य द्वारा रिकवरी की कार्यवाही कतई तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती। इस तरह की कार्यवाही में एक नई लाइन का इजहार होता है कि पूर्व प्राचार्य व राज्य सरकार की अनुमति को गलत बताकर अगला प्राचार्य राज्य सरकार व पूर्व प्राचार्य के निर्णय के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कार्यवाही को रूकवाने की कृपा करें व इसकी जानकारी से हमें अवगत करावें। श्रीमान, श्री शिवपाल यादव द्वारा जताई गई आशंका (इस पत्र को अनुमोदित करवाने के लिए प्राचार्य (रा.म.अ.म.अजमेर) दशम शाषी परिषद में सम्मिलित कर सकते हैं) में निर्मित निर्णय को रूकवाने की कृपा करें।

धन्यवाद!



प्राचार्य
रा.अ.म., बांसवाड़ा

संलग्न :

1. पत्र क्रमांक GWECA/Estt./2017-18/190 dated 24.04.2018
2. श्री शिवपाल यादव द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वन अन्व स्टाफक पत्र
3. राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पूर्व प्राचार्य का अनुमति पत्र।

प्रतिलिपि:

1. डॉ. रवि जूनीवाल, चेयरमैन, शाषी परिषद, इंजि. कॉलेज सोसायटी, अजमेर
2. गार्ड फाइल।


प्राचार्य
रा.अ.म., बांसवाड़ा

02/5/2018

प्राचार्य महोदय,
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
बांसवाड़ा

विषय :- राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर प्राचार्य द्वारा चाही गई रिकवरी के संदर्भ में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक GWECA/Estt./2017-18/190 dated 24.04.2018

श्रीमान,

निवेदन है कि मैं शिवपाल यादव राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा में सहायक कुलसचिव के पद पर कार्यरत हूँ। आपके द्वारा भेजे गए जानकारी पत्र जो राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर प्राचार्य द्वारा भेजा गया में अनुमोदित रिकवरी के संदर्भ में जानकारी है कि मुझे पूर्व प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेकर ही भेजा गया था। अब वर्तमान प्राचार्य (रा.म.अ.म.अजमेर) द्वारा उक्त अनुमति को Null & Wide बताकर रिकवरी निकालना न्यायोचित नहीं होगा। आपसे प्रार्थना है कि इसकी पूर्ण जानकारी लेकर मुझे इस पत्र की कार्यवाही से बचाएँ। मुझे आशंका है कि इस पत्र को अनुमोदित करवाने के लिए प्राचार्य (रा.म.अ.म.अजमेर) दशम शाषी परिषद में सम्मिलित कर सकते हैं।

धन्यवाद!

प्रार्थी

SHIV
(शिवपाल यादव)
सहायक कुलसचिव
रा.अ.म., बांसवाड़ा



GOVT. WOMEN ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)

Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

Ph. No.: 0145-2695535

Fax No.: 0145-2695102

website: www.gweca.ac.in
email: principalgwecajm@gmail.com

दिनांक: 24.04.2018

30.04.2018

क्रमांक: रामअमअ / संस्थापन / 2018 / 190


श्रीमान् प्राचार्य,
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
बांसवाड़ा

विषय : श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव को उच्च अध्ययन अवकाश के दौरान दिए गए वेतन की पुनः वसूली के संदर्भ में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव-राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर, हाल कार्यरत् राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा को उच्च अध्ययन अवकाश के दौरान दिए गए वेतन को पुनः वसूली किया जाना प्रस्तावित है।

श्री यादव को नियुक्ति दिनांक से वर्षवार व अवधि अनुसार दिया गया वेतन उप कुलसचिव लेखा, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर से प्रमाणित किया गया है। श्री यादव दिनांक : 09.11.2013 से दिनांक : 16.09.2016 तक उच्च अध्ययन अवकाश पर रहे। अतः अध्ययन अवकाश के समय का वेतन कुल राशि रूपए 15,04,666.00 पुनः वसूल किए जाने के क्रम में नियमानुसार उनके वेतन से कटौती कर राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित कराए जाने का श्रम करें।


प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
अभियांत्रिकी महाविद्यालय समिति,
अजमेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. श्रीमान् संयुक्त सचिव, त.शि. राजस्थान सरकार
2. कुलसचिव/उप कुलसचिव (लेखा), रा.म.अ.म., अजमेर
3. श्री शिवपाल यादव, सहायक कुलसचिव, रा.म.अ.म., अजमेर, हाल कार्यरत् रा.अ.म., बांसवाड़ा
4. रक्षित पत्रावली


प्राचार्य
रा.म.अ.म., अजमेर

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

जयपुर, दिनांक, 11 अक्टूबर, 2017

क्रमांक : 20(5)(1)त.शि./2014

सदस्य सचिव एवं प्राचार्य,
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,
अजमेर।

विषय :- दिनांक 1.8.2017 को आहूत शाषी परिषद की नवी बैठक के स्थगन के पश्चात पुनः दिनांक 18.8.2017 को प्रातः काल 11:00 बजे शिक्षा संकुल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में आयोजित हुई बैठक के संबध में।
संदर्भ :- आपका पत्रांक :राअमअ/2017/29 दिनांक 15.9.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार दिनांक 18.8.2017 को महाविद्यालय की शाषी परिषद की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण अध्यक्ष शाषी परिषद इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी अजमेर एवं चैयरमैन इंजीनियरिंग कॉलेज सोसायटी के हस्ताक्षरार्थ एवं अनुमोदक हेतु भिजवाकर एजेण्डे के आईटम नं 9.29 के संबध में कार्मिक से प्राप्त अभ्यावेदन अनुसार प्राचार्य GMEC के स्थान पर प्राचार्य GEC बांसवाडा द्वारा किए जाने हेतु कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न-अभ्यावेदन।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्राचार्य महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर।
- 2 प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाडा।
- 3 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.

सेवामें,
माननीया मंत्री महोदया,
तकनीकी शिक्षा
राजस्थान सरकार।

विषय:- अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी अजमेर की 9वीं, बैठक की (बी.ओ.जी.)
के एजेडा बिन्दू संख्या 9.29 के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी अजमेर 9वीं, बैठक की (बी.ओ.जी.) के एजेडा बिन्दू संख्या 9.29 में मुझे ज्ञात हुआ है कि:-

AGENDA		Resolution
ITEM NO.	AGENDA items	
9.29	To consider and approve the cancellation of approval & office order No. GWECA/Estt/2013-14/446-451 dated 09.11.2013 regarding higher study leave granted to Sh.Shivpal Yadav, Assistant Registrar and conside the period of study leave as NULL and provide instruction regarding his period of deputation and service/financial liability of the collage.	Decided. The principal, GMEC, Ajmer may take necessary and appropriate steps in this case.

उक्त एजेडे को प्राचार्य द्वारा बी.ओ.जी. की मिनिट्स में अनुमोदन करवाकर सरकार को गुमराह करवाना चाहते है, जबकि उक्त आदेश कंमाक GWECA/Estt/2013-14/446-451 dated 09.11.2013 के द्वारा मुझे उच्च अध्ययन के लिए कार्य मुक्त किया गया था। (आदेश की प्रति संलग्न है) (1) 546

जबकि राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के कार्यालय आदेश कंमाक GWECA/Estt/2012-13/1183 dated 23.03.2013 "As per apporval and direction of Hon' ble minister Technical Education, Chairman/President of Engineering collage Society Ajmer, Sh.Shivpal Yadav, Assistant Registrar ,is hereby granted premission to pursue Ph.D in the field of Management from singhania university, jhuunjhunu with full salary, He shall be granted 3 Years of study leave as per his request/ university requirements." के अनुमोदन के पश्चात अनुमति प्रदान की गई थी। (आदेश की प्रति संलग्न है) (02) 548

उक्त एजेडे का अनुमोदन करवाना चाहता है, जो कि सरासर एवं सर्वथा गलत है। तत्कालीन प्राचार्य व तत्कालीन माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री (एवं अध्यक्ष शासी परिषद अजमेर), राजस्थान सरकार के अनुमोदन को वर्तमान प्राचार्य द्वारा एजेडा 9.29 के Resolution में (Decided. The principal, GMEC, Ajmer may take necessary and appropriate steps in this case.) का अधिकार देना उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश की प्रति संलग्न है)

जबकि उक्त प्रकरण में उच्च अध्ययन की अनुमित पर विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा मा.राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा शिकायत का जांच पर निम्नानुसार समिति का गठन किया गया था।

1. निदेशक तकनीकी शिक्षा राजस्थान,जोधपुर(अध्यक्ष)
2. अतिरिक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा,जयपुर (सदस्य)
3. संयुक्त सचिव-द्वितीय तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार (सदस्य)

समिति ने उक्त प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत की गई। जिसमें राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत सहायक कुलसचिव श्री शिवपाल यादव को पी.एच.डी. करने की अनुमति एवं अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने की शिकायत की थी इस संबंध में अभिलेखों का निरीक्षण/अध्ययन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उ अध्ययन की स्वीकृति का अनुमोदन अध्यक्ष शासी परिषद द्वारा किया गया था। अतः उच्च अध्ययन अवका की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी हुई है तथा इस संबंध में किसी प्रकार की अनियमित नहीं की गई है। इस संबंध में जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज परिशिष्ट 12 पर संलग्न है।

निष्कर्ष:- संस्था के अभिलेखों के आधार पर शिकायती बिन्दू सही नहीं पाये गये।

(2, 3, 22)

उक्त रिपोर्ट पर विभाग के विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार श्रीमान ए.के.चीहान, द्वारा जारी की गई टिप्पणी में कोई आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण सभी आरोपों से दोष मुक्त हैं, की सूचना विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा, मा.राज्यपाल सचिवालय, जयपुर को तकनीकी शिक्षा के कार्यालय कमांक 6(1) त.शि./2014 पार्ट दिनांक 12.02.2015 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी।

उक्त एजेंडा 9.29 प्राचार्य राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर द्वारा रखा गया है, वह सरासर गलत है, उक्त प्रकरण के आदेश वर्ष 2013 के है, जो कि अध्यक्ष शास्त्री परिषद अजमेर व माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा से अनुमोदन उपरान्त उच्च अध्ययन हेतु भेजा गया था। अब प्राचार्य को 4 वर्ष पश्चात प्रकरण गलत क्यों प्रतीत हुआ? जबकि वर्तमान में मेरा पदस्थापन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा में दिनांक 01.02.2017 से लगभग 7 माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा पदस्थापित किया गया है जिसकी अनुपालना में मैं वहाँ कार्यरत हूँ। जिसके कारण प्राचार्य राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर को एजेंडा रखने का कोई अधिकार नहीं था।

अतः उक्त प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटियों की जांच को मध्येनजर रखते हुए एवं मेरा वर्तमान पदस्थापन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा है तथा मेरी निजी पत्रावली, सविस बुक, इत्यादि सम्पूर्ण व्यक्तिगत रिकार्ड राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा में होने के कारण एजेंडा 9.29 के Resolution (Decided. The principal, GMEC, Ajmer may take necessary and appropriate steps in this case.) के स्थान पर एजेंडे को डेफर करावें या (Decided. The principal, GEC, Baswara may take necessary and appropriate steps in this case.) को अधिकृत करवाने का श्रम करायें।

भवदीय

SHIV 14/9/17
(शिवपाल यादव)
सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान संयुक्त सचिव-द्वितीय तकनीकी शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान चैयरमैन, अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी अजमेर।
4. श्रीमान प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाँसवाडा
5. श्रीमान सदस्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी अजमेर।

राजकीय महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर



(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)
Nasirabad Road, Makhupura, Ajmer - 305002

Ph. No.: 0145-2695535

Fax No.: 0145-2695102


website: www.gweca.ac.in

Dated: March 23, 2013

Ref. GWECA/ Estt/2012-13 /1181

OFFICE - ORDER

As per the approval and direction of Hon'ble Minister (TE), Chairman/President of Engineering College Society Ajmer, Mr. Shiv Pal Yadav, Assistant Registrar, is hereby granted permission to pursue Ph.D. in the field of Management from Singhania University, Jhunjhunu with full salary. He shall be granted 3 years of study leave as per his request/ University requirements.


(Principal)

Copy to:

1. PS to Hon'ble Minister & President ECS Ajmer.
2. P.A to Principal for kind information
3. Mr. Mr. Shiv Pal Yadav, Assistant Registrar , GWECA
4. Accounts Section
5. Establishment Section
6. Guard File



राजकीय महिला अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, अजमेर
GOVERNMENT WOMEN'S ENGINEERING COLLEGE, AJMER

(An Autonomous Institute of Govt. of Rajasthan)
Nasirabad Road, Makhapura, Ajmer - 305002

Ph. No.: 0145-2695535
Fax No.: 0145-2695102

website: www.gweca.ac.in
email: principalgwecajm@gmail.com

Dated: 9/11/2013

Ref. GWECA/Estt./2013-14/446-451

OFFICE ORDER

With reference to the office order number GWECA/Estt./2012-13/1181 dated March 23, 2013, Sh. Shiv Pal Yadav, Assistant Registrar was granted study leave for 3 years with full salary for pursuing Ph.D. in the field of Management from Singhania Univeristy, Jhunjhunu. Consequent upon his admission in Ph.d program and his request, Sh. Shiv Pal Yadav, Assistant Registrar is hereby relieved to pursue Ph.D in the field of Management from Singhania Univeristy, Jhunjhunu from 9/11/2013.

Mehta
(Principal)

Copy to:

1. P.S. to Hon'ble Minister & President ECS, Ajmer
2. P.A. to Principal for kind information
3. Mr. Shivpal Yadav, Assistant Registrar, GWECA
4. Accounts Section
5. Establishment Section
6. Guard file

Received office order
Soni
9/11/2013

Shivpal
(Assistant Registrar)